न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारीः– नथमल डिडेल आई.ए.एस.

अपील सं. 01/2021

अन्तर्गत धारा 22 राज0
खाद्य एवं अन्य आवश्यक
वस्तु वितरण व विनियमन
अधिनियम 1976

जसवन्त पुत्र दुर्गादास जाति स्वामी निवासी नुवां तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. काशीराम शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी नुवां तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ (राज0)

––रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ दिनांक 01.04.2021 अनवानी स्टेट बनाम काशीराम प्रकरण सं. 9/2017

उपस्थितः–

1– श्री रामकुमार कस्वां अभिभाषक अपीलांट
2– श्री देवदत भीडासरा अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1
3– श्री शिवराज सिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 02.09.2021**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडेंट सं. 1 काशीराम गांव नुवां तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की दुकान सं. 807 का अधिकृत विक्रेता है। रेस्पोडेंट सं. 1 काशीराम के विरूद्ध ग्राम नुवां के राशन कार्ड धारकों द्वारा यह शिकायत की गई कि डीलर राशन व केरोसीन का सही वितरण नहीं कर रहा है एवं गेहूं व तेल राशन कार्ड धारकों को न देकर गबन कर रहा है। उक्त शिकायत की जांच हेतु नायब तहसीलदार भादरा व प्रवर्तन निरीक्षक भादरा दिनांक 14.01.2017 को गांव नुवां में उचित मुल्य की दुकान पर मौका पर जाकर जांच की व जांच रिपोर्ट में राशन कार्डो की एवं दुकान नं. 807 के रिकार्ड की जांच करके रेस्पोडेंट काशीराम उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 10.80 क्विं0 गेहूं व 32.5 लीटर केरोसीन का उपयोग करना व प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघन करना मात्र उक्त जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी भादरा ने जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ में प्रकरण की जांच करके उचित मूल्य के दुकानदार से 10.80 क्विं गेहूं व 32.5 लीटर केरोसीन की राशि जमा करवाने व धरोहर राशि जब्त करने का आदेश देकर दिनांक 13.04.20217 को प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 13.04.2017 के विरूद्ध अपीलांट जसवन्त ने इस न्यायालय में अपील जसवंत बनाम काशीराम अपील सं. 4/2017 पेश की जो निर्णय 17.03.2018 के द्वारा

आंशिक रूप से स्वीकार करके जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को पूर्व सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित कर दी। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ ने दोनों पक्षों के अभिभाषकों को सुनकर निर्णय दिनांक 01.04.2021 के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार प्राधिकार पत्र पुनः बहाल कर दिया। उक्त आदेश को आपस्त करवाने हेतु अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट एवं अधिनस्थ न्यायालय को रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 1 की तरफ से उनके अभिभाषक एवं रेस्पोडेंट सं. 2 जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ की तरफ से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित आये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि नायब तहसीलदार भादरा व प्रर्वतन निरीक्षक भादरा में अपनी जांच रिपोर्ट में डीलर द्वारा गेहूं एवं केरोसीन का गबन करना माना है। जिसे जिला रसद अधिकारी द्वारा अनियमितता मानते हुए प्राधिकार पत्र बहाल किया है। गबन को अनियमितता नहीं माना जा सकता। डीलर द्वारा गेहूं व केरोसीन का गबन किया है। आज भी डीलर राशन कार्ड धारकों को सही रूप से राशन का वितरण नहीं कर रहा है। गबन को अनियमितता नहीं माना जा सकता। अपील स्वीकार करके डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जावे। रेस्पोडेंट सं. 1 के अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेश के विधि सम्मत बताते हुए कथन किया कि शिकायत राजनैतिक द्वेषता से की गई है। नायब तहसीलदार भादरा व प्रवर्तक निरीक्षक भादरा ने दिनांक 19.01.2017 को शिकायत की मौका पर जाकर जांच की थी जिसमें शिकायकर्ताओं के राशन कार्ड की फोटो कॉपी लेकर 10.80 क्वि0 गेहूं एवं 32.5 लीटर केरोसीन वितरण में अनियमितता मानी थी। श्रीमान जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त अनियमितता के आधार पर गेहूं एवं केरोसीन की राशि बाजार मूल्य में जमा करवाली व धरोहर राशि भी जप्त कर ली व प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः रिमाण्ड करने पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अधिकाश शिकायत कर्ताओं ने अपने शपथ पत्र प्रस्तुत करके डीलर द्वारा सही रूप से राशन वितरण करने के कथन किये हैं। मौका पर जांच में डीलर द्वारा की गई आपतियों पर कोई जांच नहीं की गई। कुछ शिकयत कर्ता को डीलर की पॉश मशीन द्वारा राशन नहीं दिया गया है। अपीलांट के राशन कार्ड में कांट छांट कर रखी है। मूल राशन कार्ड पेश नहीं। अपील खारिज की जावे। राजकीय अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेश को विधि सम्मत होना बताया।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी भादरा के आदेश में उचित मूल्य की दुकान नं. 807 गांव नुवां में मौका पर जाकर शिकायत की जांच दिनांक 10.01.2017 को मौका पर जाकर जांच की है। फर्द मौका में कुल 22 राशन कार्ड धारकों के कार्डों की जांच की है। उक्त जांच में उचित मूल्य के डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितता करनी बताई है व नियमानुसार राशन न देने का आधार माना है। उक्त फर्द मौका एवं प्रर्वतक निरीक्षक की रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को भेजी है। जिसमें दिनांक 13.04.2017 को 10.80 क्वि0 गेहूं व 32.5 लीटर केरोसीन की राशि जमा करवाने पर प्राधिकार पत्र बहाल किया है। उक्त आदेश इस न्यायालय द्वारा अपील में दिनांक 07.03.2019 को अपास्त करके पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया है। जिला रसद अधिकारी ने प्रकरण में दोनों पक्षों

के अभिभाषक को सुनकर डीलर द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर रसद सामग्री की राशि राजकीय कोष में जमा होने पर प्रकरण 90 दिवस से अधिक अवधि से लम्बित होने के आधार पर प्राधिकार पत्र की शर्तों के उल्लघन मानते हुए धरोहर राशि जब्त करके भविष्य में पुनः अनियमितता न करने की चेतावनी देते हुए प्राधिकार पत्र बहाल किया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व नायब तहसीलदार भादरा एवं प्रर्वतक निरीक्षक भादरा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में डीलर द्वारा अनियमितता करना माना है। जांच रिपोर्ट में शिकायत कर्ताओं के प्रस्तुत राशन कार्ड धारकों में से लगभग 12 राशन कार्ड धारकों द्वारा शपथ पत्र देकर डीलर के विरूद्ध कोई शिकायत न होने का कथन किया है। डीलर द्वारा पॉश मशीन से राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाता है। इसलिए राशन न देने का तथ्य भी मानने योग्य नहीं है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ का आदेश दिनांक 01.04.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ़।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़